



Ministry of Housing  
& Urban Affairs  
Government of India



Narendra Modi  
Prime Minister



## CREDIT LINKED SUBSIDY SCHEME FOR EWS/LIG (CLSS FOR EWS/LIG)

### KEY HIGHLIGHTS OF THE SCHEME

#### Coverage

All the Statutory towns as per Census 2011 and towns notified subsequently including Notified Planning/Development Areas and the areas falling within notified Planning/Development area under the jurisdiction of an Industrial Development Authority/Special Area Development Authority/Urban Development Authority or any such Authority under State legislation.

#### Purpose

New construction, acquisition and addition of rooms, kitchen, toilet etc. to existing dwelling as incremental housing.

#### Scheme Details

Beneficiaries will be eligible for an interest subsidy with following features:

Particulars	EWS	LIG
Household Income (₹ p.a.)	upto 3,00,000	3,00,001 - 6,00,000
Eligible housing loan amount for interest subsidy (₹)	6,00,000	6,00,000
Interest Subsidy (% p.a.)	6.5%	6.5%
Dwelling Unit Carpet Area	30 sq. mts.	60 sq. mts.

\*Benefits under these loans are available for a maximum loan tenure of 20 years.

#### Area which can be constructed

- Carpet area of housing being constructed under this component of the Mission should be upto 30 sq. mts. for EWS category and upto 60 sq. mts. for LIG category.
- Beneficiary, at his/her discretion can build a house of larger area but interest subsidy would be limited to first Rs. 6 lakh only. Additional Loan beyond the specified limit, if any, will be at non-subsidized rate.
- For incremental housing/extension, the area limit will be 30 sq. mts. and 60 sq. mts. of carpet area for EWS and LIG category respectively.

#### Implementation

- Interest subsidy will be credited upfront to the loan account of beneficiaries through Primary Lending Institutions (PLIs) resulting in reduced effective housing loan and Equated Monthly Installments (EMI).
- PLIs are identified as Scheduled Commercial Banks, Housing Finance Companies, Regional Rural Banks, State Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, Non Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFCs-MFIs) or any other institution as may be identified by the MoHUA.
- PLIs shall link the details of Aadhaar number(s) of beneficiary family to avoid duplication.

### CENTRAL NODAL AGENCIES



**National Housing Bank**  
(wholly owned by Reserve Bank of India)  
Core 5-A, India Habitat Centre, Lodhi  
Road, New Delhi 110 003,  
Tollfree Helpline: 1800-11-3377/88  
E-mail: clssim@nhb.org.in



**Housing and Urban Development  
Corporation Ltd.**  
(A Govt. of India Enterprise)  
Core 7-A, India Habitat Centre, Lodhi  
Road, New Delhi - 110 003,  
Tollfree Helpline: 1800-11-6163  
E-Mail: hudconiw@hudco.org



**State Bank of India**  
Real Estate & Housing Business Unit  
PMAY-CNA Cell  
9th Floor, Air India Building, Nariman Point,  
Mumbai - 400021  
Tollfree Helpline: 1800-11-2018  
E-Mail: clss.pmayurban@sbi.co.in

Sab ka Sapna... Ghar ho Apna



आवासन और शहरी  
कार्य मंत्रालय  
भारत सरकार



ujhzeinh  
प्रधानमंत्री



## ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस)

### स्कीम की मुख्य विशेषताएं

#### कवरेज

जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बे और तदुपरांत अधिसूचित कस्बों सहित अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य विधायिका के अधीन किसी ऐसे प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्र के भीतर आ रहे क्षेत्र।

#### प्रयोजन

नए निर्माण, अधिग्रहण तथा संवर्धन आवास के रूप में मौजूदा रिहायशी इकाइयों में अतिरिक्त कमरों, किचन, शौचालय आदि का निर्माण।

#### स्कीम का ब्यौरा

निम्नलिखित विशेषताओं वाले लाभार्थी ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे:

विवरण	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी
घरेलू आय (रुपए प्रति वर्ष)	3,00,000 तक	3,00,001-6,00,000
ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र आवास ऋण राशि (रुपए)	6,00,000	6,00,000
ब्याज सब्सिडी (% प्रतिवर्ष)	6.5%	6.5%
रिहायशी यूनिट कारपेट क्षेत्र	30 वर्ग मीटर	60 वर्ग मीटर

\*इन ऋणों के अंतर्गत लाभ अधिकतम 20 वर्ष की ऋण अवधि के लिए उपलब्ध है।

#### क्षेत्र जिसका निर्माण किया जा सकता है

- मिशन के इस घटक के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे आवास का कारपोट क्षेत्र 30 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।
- लाभार्थी अपने विवेकानुसार बड़े क्षेत्र के आवास का निर्माण कर सकता है किन्तु ब्याज सब्सिडी पहले 6 लाख रुपए तक ही सीमित होगी। विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त ऋण यदि कोई हो, गैर-सब्सिडाइज्ड दर पर होगा।
- संवर्धन आवास/विस्तार के लिए क्षेत्र की सीमा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए क्रमशः 30 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर होगी।

#### कार्यान्वयन

- ब्याज सब्सिडी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं(पीएलआई) के माध्यम से लाभार्थियों के ऋणखातों में सीधे जमा कर दी जायेगी, इससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्तें (ईएमआई) कम हो जायेगी।
- प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं का चयन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारिता बैंक, शहरी सहकारिता बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-लघु वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) अथवा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा चयनित किसी अन्य संस्था के रूप में किया जाता है।
- दोहरेकरण से बचने के लिए पीएलआई लाभार्थी परिवार को आधार संख्या के ब्यौरे से सम्बद्ध करेंगे।

#### केन्द्रीय नोडल एजेंसियां



**राष्ट्रीय आवास बैंक**  
(भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व)  
कोर-5-1, इंडिया हैबिटाट सेंटर,  
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003  
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800-11-3377/88  
E-mail: clssim@nhb.org.in



**आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उद्यम)  
कोर-7 ए, इंडिया हैबिटाट सेंटर,  
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003  
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800-11-6163  
E-Mail: hudconiw@hudco.org



**भारतीय स्टेट बैंक**  
रियल एस्टेट और हाउसिंग बिजनेस यूनिट  
पीएमएवाई-सीएनए सेल  
9 वीं मंजिल, एयर इंडिया बिल्डिंग,  
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800-11-2018  
E-Mail: clss.pmayurban@sbi.co.in

सबका सपना..... घर हो अपना